भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 33
20.07.2026 को उत्तर के लिए

कुलिक पक्षी अभयारण्य का संरक्षण

33. श्री कार्तिक चन्द्र पॉल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य (कुलिक पक्षी अभ्यारण्य) के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संरक्षण महत्व को मान्यता देती है, जहां दक्षिण एशिया में एशियाई ओपनबिल सारस की प्रजनन आबादी का लगभग 32-40 प्रतिशत पाया जाता है तथा वर्ष 2025 की गणना में 1,00,000 से अधिक पक्षियों की उपस्थिती दर्ज की गई है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान वन्यजीव आवासों के समेकित विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस-आईडीडब्ल्यूएच) के अंतर्गत वर्ष-वार आवंटित तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार, कुलिक नदी के प्रदूषण तथा जलीय खरपतवारों के प्रसार जैसी चुनौतियों से अवगत है तथा इनके निराकरण हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ङ) इसे उत्तर बंगाल के एक प्रमुख पारिस्थितिकी पर्यटन (इको-टूरिज्म) गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या यूनेस्को अथवा बर्डलाइफ इंटरनेशनल के माध्यम से इसकी अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए कोई प्रस्ताव दिया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है। पक्षियों तथा उनके प्राकृतिक पर्यावासों के संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1985 में 1.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को रायगंज (कुलिक) वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया था। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33 के अंतर्गत अनुमोदित प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाता है, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ वन्यजीवों एवं उनके प्राकृतिक पर्यावासों की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावास प्रबंधन, पारिस्थितिकी पर्यटन गतिविधियाँ तथा वन्यजीवों एवं उनके प्राकृतिक पर्यावासों की निगरानी शामिल होती है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" नामक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कुल 1,20,105.20 लाख रुपये की राशि जारी की गई, जिसमें से पश्चिम बंगाल राज्य को 3,328.51 लाख रुपये प्रदान किए गए। इस योजना के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों में पश्चिम बंगाल राज्य को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
845.13	231.36	907.88	609.10	735.04

किसी संरक्षित क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मान्यता देने अर्थात रामसर स्थल के रूप में मान्यता दिलाने हेतु प्रस्ताव, इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तथापि, रायगंज वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ था।
